संख्या–984 / 60–3–2016–18(सा0) / 15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2016

विषयः–उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से मेडिकल कॉलेजों में एसिड अटैक पीड़िताओं के समुचित उपचार हेतु 05 नये बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु अनावर्तक अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के पत्रांक–1125 / 71–1–16–जी0–388 / 2013, दिनांक 25.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से राजकीय मेडिकल कॉलेज–झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में नये बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा के पत्र संख्या–एफ0पी0एस0 / 2016–17 / 1726, दिनांक 18.05.2016 द्वारा एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा में बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एसिड पीड़िताओं की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेतु आधुनिक एवं विकसित उपचार प्रणाली विकसित करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से प्रदेश के 05 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने के लिये अनावर्तक अनुदान के रूप में निम्नांकित विवरण के अनुसार रु0–2451.10 लाख (रूपये चौबीस करोड़ इक्यावन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	संस्था का नाम	धनराशि (लाख रू0 में)
1	बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	752.00
2	लाला लाजपत राय स्मारक, मेडिकल कॉलेज, मेरठ	542.28
3	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	616.13
4	महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी	205.66
5	एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा	335.03
	योग	2451.10

(1) उक्त बर्न यूनिट की स्थापना के लिये आवश्यक आवर्तक अनुदान (चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों पर अनुमानित व्यय की धनराशि आदि) को सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा उपकरणों का क्रय सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। यूनिट की स्थापना हेतु विस्तृत आंगणन उपलब्ध कराकर शासन से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निर्मित होने वाले यूनिट के मुख्य द्वार पर साईन बोर्ड लगाकर यह उल्लेख किया जायेगा कि इस यूनिट का निर्माण उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किया गया है।

(5) उक्त यूनिट में एसिड अटैक पीड़िताओं के लिये उपचार हेतु 05 बेड आरक्षित रखे जायेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से दिनांक 31.03.2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त पर होने वाले व्यय का वहन आय–व्ययक के अनुदान संख्या–49 के 'लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–103–महिला कल्याण–10–उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष–42–अन्य व्यय' के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

14/9/16

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–984 (1)/60–3–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज–आगरा, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद तथा बरेली।
6– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7– कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।
8– कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Sri Tandan/Go